



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062025-264236  
CG-DL-E-30062025-264236

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2826]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947

No. 2826]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
(दिल्ली डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2025

का.आ. 2893(अ).— चूंकि, केंद्र सरकार ने अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021/जोन ई की जोनल विकास योजना (जेडडीपी) में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसके तहत दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.09.2024 की फाइल संख्या पीएलजी/एमपी/0007/2021/एफ-3 (19.09.2024 को प्रकाशित) के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र के साथ ही 19.09.2024 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. चूंकि, निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक अपेक्षित नहीं थी।

3. चूंकि, केंद्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021/जोन ई की जोनल विकास योजना (जेडडीपी) को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. इसलिए, अब केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के लिए उक्त मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021/जोन ई की जोनल विकास योजना (जेडडीपी) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

जोन-ई में आने वाले निम्नलिखित भूमि क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार बदला गया है:

स्थान	क्षेत्र	एमपीडी- 2021 और जोन-ई के जेडडीपी के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	भूमि उपयोग में बदलाव	सीमाएँ
1	2	3	4	5
पॉकेट सी, इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी), गाजीपुर	40300 वर्ग मीटर (लगभग 10 एकड़)	'वाणिज्यिक (फ्रेट कॉम्प्लेक्स)'	'उपयोगिता (U4)'	उत्तर: 30 मीटर आरओडब्ल्यू/ वेयरहाउसिंग प्लॉट्स दक्षिण: प्रस्तावित डब्ल्यूटीपी पूर्व: 18 मीटर आर ओ डब्ल्यू / खोड़ा कॉलोनी। पश्चिम: 45 मीटर आरओडब्ल्यू / भविष्य में उपयोग के लिए प्लॉट, सीएनजी पंप, पेट्रोल पंप

\*शर्त: एमपीडी और आईजीएल यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वैधानिक मंजूरीयां प्राप्त कर ली गई हैं।

[फा. सं. के -13011/3/2020- डीडी.1]

यू के तिवारी, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**

(Delhi Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2025

**S.O. 2893(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi (MPD)-2021 / Zonal Development Plan (ZDP) of Zone E regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India Extraordinary vide F. No. PLG/MP/0007/2021/F-3 dated 18.09.2024 (published on 19.09.2024) as well as in newspapers on 19.09.2024 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub- section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions have been received within the stipulated time period, therefore the meeting of Board of Enquiry and Hearing was not required.

3. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone E.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone E with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modifications\*:**

The Land Use of the following area of land falling in Zone-E is changed as per description listed below:

Location	Area	Existing Land Use as per MPD- 2021 & ZDP of Zone-E	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket C, Integrated Freight Complex (IFC), Gazipur	40300 sq mt (10 acres approx.)	‘Commercial (freight complex)’	‘Utility (U4)’	North: 30m RoW/Warehousing plots South: Proposed WTP. East: 18m RoW/Khora Colony. West: 45m RoW/future use plot, CNG pump, petrol pump

*\*Condition: MCD and IGL shall ensure that all statutory clearances are obtained*

[F. No. K-13011/3/2020-DD.I]

U K TIWARI, Under Secy.